



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082024-256147
CG-DL-E-07082024-256147

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3040]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 6, 2024/ श्रावण 15, 1946

No. 3040]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 6, 2024/ SHRAVANA 15, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2024

का.आ. 3189(अ).— जबकि केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) के तहत जारी किए गए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के का. आ. संख्या 891(E), दिनांक 23.02.2024 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 के चंद्रकोना रोड और गढ़बेता स्टेशनो के बीच कि. मी. 159.448 पर कदमडीहा में (158.300 कि. मी. और कि. मी. 161.200 के भीतर) मौजूदा लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर के.ए.-38 (रेलवे कि. मी. 165/21-165/23) के स्थान पर जुड़वा 2-लेन उपरगामी पुल (आर.ओ.बी.) और इसके पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख १६.०३.२०२४ को “द टाइम्स ऑफ इंडिया” और “वर्तमान” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अनुसरण में किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति नहीं प्राप्त किया है;

और जबकि, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

इसलिए, अब सक्षम प्राधिकारी कि उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर तथा उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया जाना चाहिए;

और इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में, एतद्वारा यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के शासकीया राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी;

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 के कि. मी. 158.300 से कि. मी. 161.200 तक में अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: पश्चिम बंगाल			जिले का नाम: पश्चिम मेदिनीपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मेदिनीपुर सदर					
गांव का नाम: कदमदीहा (जे. एल. नं.: ६६६)					
1	4/415	निजी (प्राइवेट)	दही पुरातन पतित	0.0890328	त्रिलोचन पंडित एंस्/ओ राणाकिशोर
कुल योग				0.0890328	

[फा. सं. RW/NH/12037/79/2012/WB/P-3D]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2024

S.O. 3189(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 891(E) dated 23/02/2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for Construction of Twins 2-Lane ROB and its approaches in replacement of existing level crossing Gate No- KA-38 (Rly. Km.-165/21-165/23) between Chandrakona Road and Garbeta Stations in Kadamdiha at Km- 159.448 (Between Km - 158.300 and Km.161.200) of NH-60 in the district of Paschim Medinipur in the state of West Bengal.

and

whereas, the substance of the said notification has been published in "BARTAMAN" and "THE TIMES OF INDIA" both dated 16th March, 2024 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

and

whereas, no objection has been received under sub-section (1) of section 3C of the said Act from any person by the Competent Authority;

and

whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

and

further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. - 158.300 to Km.-161.200 of NH-60 in the district of Paschim Medinipur in the state of West Bengal.

State: WEST BENGAL			District: Paschim Medinipur		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Medinipur Sadar					
Village: Kadamdiha (J. L. No.: 666)					
1	4/415	Private	DAHI PURATAN PATIT	0.0890328	TRILOCHAN PANDIT S/o RANAKISHORE
Total				0.0890328	

[F. No. RW/NH/12037/79/2012/WB/P-3D]

ABHAY JAIN, Director.